



आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश



क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2022/2903

भोपाल, दिनांक 07/10/2022

—: आदेश —:

आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनांतर्गत गठित तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर All stratified Medical management procedures based on type of ward की स्वीकृत प्रतिदिवस पैकेज दरों को तत्काल प्रभाव से निम्न विवरण अनुसार संशोधित किया जाता है:-

स. क्र.	Medical management procedures based on type of ward	पूर्व में स्वीकृत पैकेज (प्रतिदिवस दर)	नवीन स्वीकृत पैकेज (प्रतिदिवस दर)
1	2	3	4
1.	सामान्य बार्ड	2100/-	2100/-
2.	एच.डी.यू. बार्ड	3300/-	3300/-
3.	आई.सी.यू. (बिना वेन्टिलेटर)	8500/-	5400/-
4.	आई.सी.यू. (वेन्टिलेटर सहित)	9000/-	6750/-

उक्त तालिका में कॉलम क्रमांक 2 के सामने कॉलम क्रमांक 04 में अंकित नवीन स्वीकृत पैकेज राशि को टी.एम.एस. पोर्टल पर अपडेट करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

संबंधित टी.पी.ए./आई.एस.ए. (विडाल हेल्थ इंश्योरेंस टी.पी.ए. एवं फ़ैमली हेल्थ प्लान टी.पी.ए.) को निर्देशित किया जाता है, कि टी.एम.एस. पोर्टल पर उक्त पैकेज की राशि अपडेट होने तक आदेश दिनांक से योजनांतर्गत All stratified Medical management procedures based on type of ward के पंजीकृत किये जाने वाले सभी प्रकरणों की नियमानुसार जांच कर सही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से उपरोक्तानुसार नवीन स्वीकृत पैकेज राशि को अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करें।

योजनांतर्गत समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाता है, कि मरीज के लक्षण एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त पैकेज का तर्कसंगत उपयोग करें, अन्यथा की स्थिति में क्लेम प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

(अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

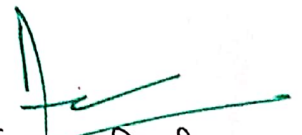
(अनुराग चौधरी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.

पृ.क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2022/2904

भोपाल, दिनांक 07/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.
2. सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, भोपाल म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
6. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
8. महाप्रबंधक (ऑपरेशन), आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
9. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
10. समस्त, सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक म.प्र.।
11. समस्त संभाग प्रभारी अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
12. जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डी.एच.ओ.-1/2 समस्त जिला म.प्र.।
13. टी.पी.ए./आई.एस.ए. (विडाल हेल्थ इंश्योरेंस टी.पी.ए. एवं फैमली हेल्थ प्लान टी.पी.ए) म.प्र.
14. बी.एफ.ए. (एम.डी. इण्डिया) म.प्र.।
15. समस्त अनुबंधित चिकित्सालय, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.